न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:– 17/दावा/2020

1. कजोड सिंह आयु 39 वर्ष आ0 रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
2. छोटू सिंह आयु 28 वर्ष आ0 रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. चांदसिंह आयु 26 वर्ष आ0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
4. भंवरकंवर आयु 50 वर्ष पुत्री रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
5. लाडकंवर आयु 45 वर्ष पुत्री रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
6. हंसा कंवर आयु 43 वर्ष पुत्री रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
7. रतनकंवर आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदारा साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

प्रतिवादी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 01/09/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहमणों का लुहारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 की खतोनी संख्या 141 में वादीगण के नाम लीजदारी में दर्ज है। वादीगण के पिता/पति रघुनाथसिंह आ0 मोहनसिंह राजपूत निवासी ब्राहमणों का लुहारिया को उपरोक्त भूमि दिनांक 07.10.1956 को लीज पर आंवटित की गई थी। उक्त भूमि पर आंवटी रघुनाथसिंह आ0 मोहनसिंह जी ताजिन्दगी काबिज काश्त रहे है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

तथा उनके देहान्त के बाद से वादीगण निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। रघुनाथसिंह जी का देहांत हो गया है और वादग्रस्त भूमि में रघुनाथसिंह जी के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज हो चुका है एवं वादीगण उक्त भूमि पर निरंतर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमि की सिंचाई हेतु मौके पर कुआ खुदवा रखा है जिससे भूमि की सिंचाई कर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की तरफ उक्त भूमि की कोई राशि बकाया नही है। वादीगण द्वारा 2,27,250 रूपये बुक नं0 0070430/36 दिनांक 21.12.2017 से राजकोष में जमा किया जा चुका है इस प्रकार वादीगण की तरफ कोई राशि बकाया नही है और वादीगण निरंतर बहैसियत खातेदार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता व वादीगण उक्त भूमि पर काश्तकारी कानून प्रभाव में आने के समय से काबिज चले आ रहे है। कानूनन काश्तकारी कानून प्रभाव में आने के समय जो व्यक्ति भूमि पर काबिज था उसकों खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वादीगण के पिता उक्त भूमि पर 1956 के पूर्व से काबिज चले आने व दिनांक 07.10.1956 को वादीगण के पिता/पति भैरू के नाम किये गये आंवटन को 64 वर्ष हो जाने से भी वादीगण विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी उक्त भूमि के खातेदार बन चुके है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अभी तक भी लीजदारी में दर्ज की होने से लीजदारी के अंकन को विलोपित करवाकर खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर काफी पैसा लगाकर भूमि को कृषि उपज योग्य बना कर सिंचाई हेतु कुआ खुदवाया है और प्रतिवादी की जानकारी में वादीगण निरंतर निर्बाध रूप से बिना रोक टोक शांतिपूर्वक काबिज चले आने से वादीगण उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 08.01.2018 को श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का व कानूनगों द्वारा जांच करवाई गई जिससे पटवारी–कानूनगों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक भूमि पर वादीगण ही काबिज है और भूमि की कोई राशि वादीगण की तरफ बकाया नही है तथा भूमि पर खेती की जा रही है। इस दृष्टि से भी वादीगण कानूनन उक्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है लेकिन पटवारी, कानूनगों की रिपोर्ट आने के बावजूद तहसीलदा साहब द्वारा भूमि पर दिनांक 08.01.2018 को न्यायालय से आदेश लाये बिना खातेदारी देने से इंकार कर देने तथा भूमि पर से बेदखल करने की धमकी देने से वादीगण को उक्त वाद का वादकारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवावे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज लीजदारी के अंकन को विलोपित करवावे एवं वादीगण का नाम खातेदार के रूप दर्ज करवावें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करने एवं बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवावें। वादीगण उक्त भूमि पर गत 64 वर्षो से निरंतर काबिज चले आने से उक्त भूमि के कानूनन खातेदार बन चुके है और वैसे भी बाई आपरेशन आफ लॉ सरकारी भूमि पर 30 साल बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है लेकिन वादीगण लीज आंवटन से भूमि पर काबिज चले आने से भी खातेदारी प्राप्त कर चुके है एवं राज्य सरकार का वापस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार भी सदैव के लिए अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है। वाद में अधिकार घोषणा का अनुतोष चाहा है। घोषणा के वाद में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

राज्य सरकार को 2 माह का नोटिस वाद पूर्व दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी ने खातेदारी दर्ज करने से इंकार करने व बेदखल करने की धमकी देने से वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है और वाद आवश्यक प्रकृति का होने से निर्धारित अवधि का नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 80(2)जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ब्राहमणों का लुहारिया पटवार मण्डल छाबडियो का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहमणों का लुहारिया पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज लीजदारी के अंकन को विलोपित किया जावे एवं वादीगण को भूमि पर से बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें। उक्तानुसार वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 रेकार्ड जमाबंदी स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्व करें। वाद पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 रेकार्ड से स्वीकार है। टीआरए/18/34 दिनांक 03.01.18 संलग्न। वाद पत्र की चरण संख्या 5 व 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 अस्वीकार है। स्वयं सिद्व करें। वाद पत्र की चरण संख्या 8 लगायत 10 अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी 354 रकबा 15.03 बीघा किस्म नहरी ग्राम ब्राहमणों का लुहारिया में स्थित है, के संलग्न रिपोर्ट टी0आर0ए0 राशि जमा हो चुकी है। रिपोर्ट पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक के भूमि में वारिसान का कब्जा है। वास्ते कार्यवाही माननीय न्यायालय में जवाब सादर पेश है।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा पर वादी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज लीजदार के अंकन को विलोपित करवाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

भार वादीगण

आया उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी पर वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से आबन्द करवाने का अधिकारी है।

भार वादीगण

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0–1 पेश किये है साथ ही जमाबंदी खाता संख्या 141 सम्वत 2074 से 2077 ग्राम ब्रा0 का लुहारिया प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2074 से 2077 खाता नम्बर 141 ग्राम ब्रा0का लुहारिया प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 354 प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

लीजदारी से खातेदारी हेतु प्रेषित प्रस्ताव प्रदर्श–4, प्रार्थना पत्र गैर खातेदारी से खातेदारी दिनांक 27.06.2017 प्रदर्श–5, रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक प्रदर्श–6, लीज आंवटन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–7, पटवारी हल्का द्वारा आंवटन प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8 पेश किये है।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता/पति रघुनाथ सिंह आ0 मोहनसिंह राजपूत को दिनांक 07.10.1956 को लीज पर आंवटित हुई थी, जिस पर तत्समय से ही आंवटी रघुनाथ सिंह व उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है। उक्त भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम लीजदारी में दर्ज रिकोर्ड है। भूमि लीजदारी में दर्ज होने से वादीगण को सरकार द्वारा मिलने वाली कृषि योग्य सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है जबकि वादीगण के पूर्वजों ने उक्त भूमि को आंवटन से वर्षो पहले काफी रकम खर्च कर नातोड से आबाद कर कृषि योग्य भूमि बनाकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की एवज में नियमानुसार शुल्क वादीगण अदा कर चुके है फिर भी यदि भूमि की लागत निकलती है तो वादीगण जमा करवाने को तैयार है। वादीगण उक्त भूमि का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके है। राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने के अधिकारी है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार के रूप में अंकित किया जावें एवं प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादीगण को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नही करें।

प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है–

तनकी संख्या –1

आया वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा पर वादी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज लीजदार के अंकन को विलोपित करवाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

भार वादीगण

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा लीजदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली को दिनांक 27.06.2017 को प्रस्तुत आवेदन जो कि बाद जांच पत्र क्रमांक :– टीआरए/18/34 दिनांक 03.01.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, की प्रमाणित प्रति पत्रावली में प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 07.10.1956 को वादीगण के पति/पिता रघुनाथ सिंह वल्द मोहनसिंह राजपूत को भूमि लीज पर आंवटन हुई है प्रदर्श–7 है। उक्त प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त भूमि पर आंवटी के वारिसान का कब्जा काश्त होना, भूमि अन्य को स्थानान्तरित नही होना, आंवटित भूमि बाबत किसी प्रकार का विवाद किसी न्यायालय में जैरकार नही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

होना, भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जाना, आंवटन शर्तो की पालना होना, आंवटन खारिज नही होना अंकित किया गया है व आंवटन भूमि की राशि बुक नम्बर 0070430/036 दिनांक 21.12.2017 से राशि 227250 रूपये मूल व बुक नम्बर 0070430/036 दिनांक 21.12.2017 से राशि 25 रूपये पट्टा फीस जमा होना रिपोर्ट टी0आर0ए0 में अंकित है। साथ ही पेरोकार सरकार द्वारा भूमि पर वारिसान का कब्जा होना बताया गया है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जे काश्त बाबत खसरा गिरदावरी सम्वत 2074 से 2077 में भूमि पर वादीगण लीजदारी के रूप में दर्ज है साथ ही खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2074 से 2077 से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण द्वारा काश्त करना अंकित है साथ ही वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पी0डब्लू0-1 में अंकित तथ्यों से भी भूमि वादीगण के पिता/पति को लीज में आंवटन होकर भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त होना अंकित है। साथ ही मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/जवाब सरकार से विवादित भूमि पर वादीगण लीजदार की हैसियत से दर्ज है जिसमें से 15.03 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होना अंकित है एवं आंवटन खारिज नही होना भी अंकित है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादीगण के पति/पिता को विधिवत लीज में आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तो की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या-2

आया उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी पर वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

भार वादीगण

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश जिसके आधार पर उसने अधिकार घोषणा चाही है वह आंवटन मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के खारिज नही हुआ है। वादीगण आंवटन भूमि पर आंवटन के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं आंवटन शर्तो की पालना करने से वह प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष निर्णित की जा चुकी है जिससे भी वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 15.03 बीघा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया, पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव जो कि वादीगण के पति/पिता रूघनाथ सिंह को लीज पर आंवटित हुई है, पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की ओर यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो जमा करने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के रूप में अंकन किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)